

कार्यालय राहत आयुक्त मध्यप्रदेश

राजस्व राहत भवन, 220, अरेरा हिल्स, भोपाल

फोन-0755-2579988, 244 1419 ई-मेल- reliefcom@mp.nic.in

क्रमांक/रा.आ/बजट/2023-24/666

भोपाल, दिनांक 30/11/2023

प्रति,

कलेक्टर,

जिला- समस्त (म.प्र.)

विषय :- राहत मद की आहरित/वसूल की गई राशि शासकीय कोष में जमा करने के संबंध में मार्गदर्शन।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राहत आयुक्त कार्यालय की मांग संख्या 008, मुख्य शीर्ष 2245/2235 के अंतर्गत विभिन्न योजना शीर्षों से प्रदेश के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट प्रावधान में से प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की जाती है। कतिपय विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से आहरित राहत राशि में से शेष बची राशि अथवा वसूल की गई राहत राशि शासकीय कोष में जमा करने के संबंध में विभिन्न जिला कलेक्टरों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन मांगा जाता है।

उपरोक्त संबंध में लेख है कि म.प्र. शासन, वित्त विभाग की टीप क्र. 669/1646555/2023/ब-5 दिनांक 21.11.2023 द्वारा दिये गये परामर्श अनुसार उक्त राशि शासकीय कोष में निम्नलिखित प्राप्ति शीर्ष में जमा की जा सकती है:-

0070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

60 - अन्य सेवायें

800 - अन्य प्राप्तियां

0099 - अन्य विविध प्राप्तियां


सचिव 30.11.23

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 30/11/2023

पृ.क्रमांक/रा.आ/बजट/2023-24/667

प्रतिलिपि:-

संभागायुक्त, समस्त संभाग (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव 30.11.23

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

Letters 2023-24